

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए" ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प .2 (ग) एसीपी/अलेसे I / 1986-III / 795

दिनांक :- 13/10/2017

आदेश संख्या : 176/2017-18

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प .11(7)वित्त(नियम)/2008/दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ . 11(7)वित्त(नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प .14(88)वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प .14(88)वित्त(नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं एफ 14 (88) एफ डी / रूल्स / 2008 - I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए .सी.पी.) पे-बैंड 2 (9300-34800) में ग्रेड-पे 5400/- स्वीकृत की जाती है।)

क्र.सं.	नाम (संस्थि)	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	द्वारिका प्रसाद गुप्ता - [3411]	939 / 1986	24/11/1988 A/N	24/11/2015 A/N	उक्त स्वीकृति के क्रम में वेतनस्थिरीकरण का लाभ दिनांक 25.11.2015 से देय होगा

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

- 1 पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- 2 पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
- 3 कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- 4 इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
- 5 गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- प .2 (ग) एसीपी/अलेसे I / 1986-III / 795

दिनांक :- 13/10/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम

उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

रक्षित/निजी पत्रावली।



(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए" ब्लॉक, जनपथ , जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प .2 (ग) एसीपी/अलेसे ।। 1990 / 796

दिनांक :- 13.10.2017

आदेश संख्या : 178/2017-18

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प .11(7)वित्त(नियम)/2008/दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ . 11(7)वित्त (नियम)पार्ट-II/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प .14(88)वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय के पदपर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प .14(88)वित्त(नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं एफ 14 (88) एफ डी / रूल्स / 2008 - I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए .सी.पी.) पे-बैंड 2 (9300-34800) में ग्रेड-पे 5400/- स्वीकृत की जाती है।)

क्र.स .	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच न .	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रामसिंह मीणा - [7005]	96 / 1990	15/06/1993	15/06/2016	तीसरी संतान के जन्म के कारण

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

- 1 पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- 2 पूर्व में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
- 3 कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- 4 इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
- 5 गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इसस्वीकृति ववेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक:- प .2 (ग) एसीपी/अलेसे ।। 1990 / 796

दिनांक :- 13.10.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम

अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।

- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट परअपलोड करने हेतु।
- रक्षित/निजी पत्रावली।



(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)